बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०—17/विविध— 01—230/2026 **पटना, दिनांक :— / / 2026**

डॉ० शिफाली सिन्हा, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर—BHS), स्त्री रोग एव प्रसव विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—9889, दिनांक—01.12.2015 के आलोक में दिनांक—10.08.2026 के प्रभाव से प्रथम संतान हेतु मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
—सह—संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :—17/विविध— 01—230/2026 — 1345(17) **पटना, दिनांक :—** 12 / 10 /**2026**

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— डॉ० शिफाली सिन्हा, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर—BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
—सह—संयुक्त सचिव।